

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2007

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एन.टी.(एस.जी.-पी.एन.पी.)/6/सी.ए./2007/1617.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये अनुसार जिला पानीपत के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:

अनुसूची

जिला पानीपत के क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(पी.एन.)303/2006, दिनांक 04 मई, 2006 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तर:** बिन्दु 'ए', जो कि गाँव देहरा (हदबस्त संख्या 85), गाँव हथवाला (हदबस्त संख्या 82) तथा गाँव फिरोजपुर की राजस्व सीमाओं का तिरहा है, से प्रारम्भ करते हुए दक्षिण-पूर्व की ओर गाँव फिरोजपुर की उत्तरी-पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उस बिन्दु तक जहाँ यह गाँव हथवाला (हदबस्त संख्या 82) की आयत संख्या 147 के उत्तर-पश्चिम कोने से मिलती है, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गाँव हथवाला (हदबस्त संख्या 82) की आयत संख्या 147, 148 तथा 149 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, बिन्दु 'बी' अर्थात् गाँव हथवाला (हदबस्त संख्या 82) की आयत संख्या 149 के उत्तर-पूर्व कोने तक।
- पूर्व:** तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गाँव हथवाला (हदबस्त संख्या 82) की आयत संख्या 149, 162 तथा 167 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जहाँ यह गाँव हथवाला (हदबस्त संख्या 82) की दक्षिणी राजस्व सीमा से मिलती है।
- दक्षिण:** तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर गाँव हथवाला (हदबस्त संख्या 82), गाँव फिरोजपुर तथा गाँव काकरोली (हदबस्त संख्या 84) की दक्षिणी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गाँव देहरा (हदबस्त संख्या 85), गाँव बसाड़ा (हदबस्त संख्या 90) तथा गाँव काकरोली (हदबस्त संख्या 84) की राजस्व सीमाओं का तिरहा है।
- पश्चिम:** तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर गाँव काकरोली (हदबस्त संख्या 84) तथा गाँव फिरोजपुर की पश्चिमी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 20th April, 2007

No. CCP (NCR)/NT(SG-PNP)/6/CA/2007/1617.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area in district Panipat as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundary of the controlled area in district Panipat to be read with drawing no. DTP(PN)303/2006, dated the 4th May, 2006.

- North:** Starting from point "A", i.e. the tri-junction of revenue boundaries of village Dehra (Hadbast no. 85), village Hathwala (Hadbast no. 82) and village Firojpur, towards south-east along north-east revenue boundary of village Firojpur up to the point where it meets with north-west corner of rectangle no. 147 of village Hathwala (Hadbast no. 82), thence towards east along northern boundary of rectangle no. 147, 148 and 149 of village Hathwala (Hadbast no. 82) up to point "B" i.e. north-east corner of rectangle no. 149 of village Hathwala (Hadbast no. 82).
- East:** Thence moving from point "B" towards south along the eastern revenue boundary of rectangle no. 149, 162 and 167 of village Hathwala (Hadbast no. 82) up to point "C" where it meets with southern revenue boundary of village Hathwala (Hadbast no. 82).
- South:** Thence moving from point "C" towards west along the southern revenue boundaries of village Hathwala (Hadbast no. 82), village Firojpur and village Kakroli (Hadbast no. 84) up to the point "D" which is the tri-junction of revenue boundaries of village Dehra (Hadbast no. 85), village Basara (Hadbast no. 90) and village Kakroli (Hadbast no. 84).
- West:** Thence moving from point "D" towards north along western revenue boundaries of village Kakroli (Hadbast no. 84) and village Firojpur up to point "A" i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Town and Country Planning Department.